

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 48/2021

तरसेम सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति मजहबी निवासी 14 डीओएल (ए) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 3 एसएसएम प्रथम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 23 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 बीजीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप-पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए,88,89,188 आर.टी.एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक-05.04.2021

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी तरसेम सिंह का कहना है कि उसने विवादित आराजी चक 3 एसएसएम प्रथम के मुरब्बा नंबर 197/06 के किला नंबर 1 ता 22 की कुल 5.4 हेक्टेयर भूमि को खरीदने बाबत 17 जनवरी 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के साथ मौखिक इकरार किया था और इकरार के आधार पर 12 लाख रुपए उसी दिन गुरदीप सिंह को दे दिए थे और जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया था। मसौदे के मुताबिक 18 मार्च 2021 को जमीन का बैयनामा पंजीयन करवाया जाना तय हुआ था। वादी ने उक्त भूमि के संबंध में स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी कर दिया था लेकिन दिनांक 18 मार्च 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 सौदे से मुकर गया और इसके बाद उसने जमीन का बेचान आगे प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम के पक्ष में कर दिया। इसलिए वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है उक्त भूमि पर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें और करार के आधार पर उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की जाए।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि वादी के पक्ष में कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जा सके या जमीन वादी के नाम दर्ज कर दी जाए। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि 17 जनवरी 2021 को दोनों पक्षों के बीच कोई इकरार हुआ था और वादी ने 12 लाख रुपए देकर उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त किया था। अगर यह मान भी लिया जाए कि गुरदीप सिंह मौखिक इकरारनामा के बाद जमीन का बेचान करने से मुकर गया है तो भी संभावित खरीददार के पक्ष में उक्त जमीन के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते। बैयनामा लिखे जाने मात्र से भी संभावित खरीददार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। जहां तक संभावित खरीददार द्वारा स्टांप ड्यूटी जमा करवाए जाने का प्रश्न है तो स्टांप ड्यूटी रिफंड हो सकती है इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति हो रही हो। इसलिए अदालत का फैसला है कि यह वाद सस्टेनेबल नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)